न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

संतोष बनाम सुल्तान सिंह वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दावा	प्र.नं. 41/2023
29.09.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र दावा संख्या 41/2023 उनवानी सन्तोष बनाम सुल्तान सिंह वगै0 को खारिज किया जा चुका है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या – 41 / 2023 जीसीएमएस नं0 97 / 2023 निर्णय दिनांक 29.09.2023

उनवान प्रकरण

संतोष पुत्री स्व0 जगदीश पत्नी हजारीलाल जाति जाट निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

––वादीया / अप्रार्थी

बनाम्

1. सुल्तानसिंह पुत्र स्व0 मुरलीराम जाति जाट निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 वगैरह

––प्रतिवादी / प्रार्थी

उपस्थितः–
श्री भारत भूषण सामोता, एड0 वादी / अप्रार्थी अभिभाषक।
श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 आवेदककर्त्ता प्रा.पत्र पेशकर्त्ता आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 श्री सुल्तानसिंह पुत्र स्व0 मुरलीराम जाति जाट निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के द्वारा जरिये अधिवक्ता [illegible] 7 / 04 / 2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 [illegible] सीपीसी का प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वादी की ओर से प्रस्तुत [illegible]पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
29/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादीगण के स्वर्गीय पिता जगदीश एव रामूराम ने राजस्व ग्राम अजीतगढ की पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि को उसके मूल खातेदार मिन प्रतिवादी नम्बर 1 के ताऊ दुलाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनाक 14.05.1984 को क्रय करने के कथन किये गये है। उक्त पुराने खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा के नवीन सैटलमेन्ट में नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 वरवक्त सैटलमेन्ट बनाये गये है। उक्त विक्रय लेख 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण जरिये मिसल 163/84 दिनांक 22.8.1984 के वरवक्त सैटलमेन्ट आदेश के तहत खातेदारी नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 की (जिसमें 2103 का रकबा 4.52 बढाकर गलत अंकित किया है) खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता जगदीश एंव रामूराम वगैरह के नाम स्वंय करवायी गयी है। इस प्रकार नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना सिद्ध है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा से नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100, 2101, 2099, 2098 राजस्व रिकार्ड से बनना सिद्ध नही है। इस प्रकार वादी की ओर से नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100 को पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना अपने वादपत्र के कथनो में अंकित करते हुये वादपत्र में नवीन खसरा नम्बर 2100 के बावत अनुतोष चाहा हैं जबकि नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से नही बना है बल्कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बना है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2100 तन् ग्राम अजीतगढ बाबत वादी को किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के कोई कानूनी अधिकार नही है, ना ही वादी को कोई नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100 के बावत वादकारण उत्पन्न हुआ है, ना ही हो सकता है। इसलिये वादी का वादपत्र वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वादी स्वच्छ मन व शुद्ध हस्त से नही आया है तथा अपने विक्रय लेख के आधार पर दर्ज करवाये [illegible] निर्णय के तथ्यो को छिपाकर मिथ्या आधारो पर मलिन आशय [illegible] है जो कानूनन चलने योग्य नही है। वादी की ओर [illegible] आवश्यक पक्षकारो का संयोजन नही किया गया है। इसलिये आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के कारण वादी का वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

28/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खारिज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा अपनी बहस में किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रत्युतर मे वकील वादीया ने जवाब दरख्वास्त प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान् को बहस हेतु सहमति दी गई।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे मुख्य रूप से पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि को उसके मूल खातेदार मिन प्रतिवादी नम्बर 1 के ताऊ दूलाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 14.05.1984 को क्रय किये जाने तथा उक्त पुराने खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा के नवीन सैटलमेन्ट में नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 बरवक्त सैटलमेन्ट खातेदारी राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण जरिये मिसल 163/84 दिनांक 22.8.1984 के आदेश के तहत खातेदारी नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 जिसमें 2103 का रकबा 4.52 बढ़ाकर गलत अंकित किये जाने से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता जगदीश एंव रामूराम वगैरह के नाम स्वंय करवायी गयी है। इस प्रकार नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से [illegible] वादपत्र में भूमि खसरा नम्बर 2100 के सम्बन्ध में वाद[illegible] के अभाव में प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रकट होता है।

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है कि:– वादपत्र का नांमजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

क. जहॉ वह वाद हैतुक प्रकट नहीं करता है।

ख. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्याकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

ग. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

घ. जहॉ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ड. जहॉ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है

च. जहॉ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख वादीगण के पूर्वज खातेदार दूलाराम पुत्र रूघाराम द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरूलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 को विक्रय किया गया था। जिसकी खातेदारी केतागण द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष प्रकरण पेश कर बाद जॉच केतागण के पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टर, 2103 रकबा 4.52 हैक्टर, 2104 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टर जॉच में बनना पाये जाने पर इसकी खातेदारी केतागण भैरूलाल पुत्र घासीराम, जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज की गई। जो मिसल संख्या 163/84 के तहत निर्णित किया गया। जिसमें रकबे को 17 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 4.28 हैक्टर बनता है के बजाय रकबा 4.58 हैक्टर बना दिया गया। सैटलमैंट की कार्यवाही के दौरान जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उसमें 976/2 के उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बरों 2102, 2103, 2104 के अलावा अन्य नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 [illegible] जबकि उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110 पुराने कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

29/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नम्बर 975 से बनना पाया जाना प्रकट होता है। जो भू प्रबन्ध विभाग सीकर की मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 की पालना में बनाया जाकर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में जब भूमि खसरा नम्बर 2100 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा से नहीं बनकर पुराने भूमि खसरा नम्बर 975 से बनना सहायक भू प्रबन्ध विभाग सीकर द्वारा मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 के अनुसार वादीगण के पूर्वज खातेदार भैरूंलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 को विक्रय किये गये विक्रय लेख की खातेदारी का अंकन कराया गया है। जो कि वादिया द्वारा अपने पूर्वजों के फुट स्टेप पर वाद प्रस्तुत किया है, उनकी स्वीकारोक्ति है। जिनसे वादिया भी एस्टोप्ड है। इसलिए नवीन भूमि खसरा नम्बर 2100 जो पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से नहीं बनना पाया जाता है। केवल मात्र मिलान क्षेत्रफल की त्रुटि के आधार पर वादिया को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः वादकारण के अभाव में वादिया का वादपत्र चलने योग्य नहीं होने से वकील प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

23/12/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

::—कियात्मक आदेश—::

अतः वकील प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र उनवानी संतोष बनाम् सुलतानसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 41 / 2023 व मूल प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा उनवानी संतोष बनाम् सुलतानसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 42 / 2003 को खारिज की जाती है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों मूल पत्रावली में शामिल की जावें।

29/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीमकाथाना)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीमकाथाना)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीमकाथाना)